Seventeenth Loksabha

an>

Title : Regarding benefits of Fasal Bima Yojana in Ganganagar Parliamentary Constituency.

श्री निहाल चन्द चौहान (गंगानगर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अंतर्गत श्रीगंगानगर व हनुमानगढ़ के बहुत से किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ अभी भी नहीं मिल पा रहा है । बैंक और बीमा कंपनियों के द्वारा सही डाटा अपलोड न करने के कारण बहुत से किसानों को प्रीमियम जमा करने के बाद भी नुकसान के हर्जाने के रूप में मिलने वाला लाभ अभी तक नहीं मिल सका है । वर्ष 2019 से लेकर वर्ष 2020 के मध्य बहुत से किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं । जिला हनुमानगढ़ में पीलीबंगा तहसील के बहुत से किसानों की बरानी भूमि को इंश्योरेंस कंपनियों द्वारा गलत अंकित किया गया है, जिस कारण स्थानीय किसान बीमा के क्लेम से वंचित रह गए और पात्र होने के बाद भी उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिल सका है । श्रीगंगानगर जिले में सूरतगढ़ तहसील के किसानों को केवल बुवाई प्रमाण पत्र जमा नहीं करवाने पर इस योजना के लाभ से वंचित रखा गया है । राजस्थान प्रदेश में राजस्व विभाग के द्वारा किसानों को बुवाई प्रमाण पत्र जारी ही नहीं किये गए हैं । यहाँ के किसान भी पात्र होने के बावजूद इस योजना का लाभ नहीं ले पा रहे है । केंद्र सरकार तुरंत इसका संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्यवाही करे ।